

राजस्थान कर बोर्ड,अजमेर

अपील संख्या 2013 / 2008 / टोक

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट—प्रथम, टोक

अपीलार्थी

मैसर्स रोशन अग्रवाल
पीपलू टोक

बनाम

प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित

श्री अनिल पोखरणा
राजकीय उप अभिभाषक
श्री अलकेश शर्मा
अधिवक्ता

निर्णय दिनांक : 28.5.2015

अपीलार्थी की ओर से
प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय

यह अपील सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट—प्रथम, टोक (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा उपायुक्त(अपील्स)वाणिज्यिक कर, कोटा द्वारा अपील संख्या 38/वेट/2007–08 के विरुद्ध प्रस्तुत की है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 14.02.2008 को वाहन संख्या आरज—26—जीए—0431 को टोक जयपुर मार्ग पर बरौनी के पास रोक कर चेक किया गया। वक्त चेकिंग वाहन में बोरी सरसों भरी हुई थी और वाहन चालक से पूछने पर उसने बताया कि उक्त माल पीपलू से निवाई ले जा रहा है। कर निर्धारण अधिकारी ने वक्त चेकिंग परिवहनित माल से सम्बन्धित दस्तावेज वाहन चालक से मांगे जाने पर, उसने बताया कि परिवहनित माल से सम्बन्धित यथा बिल, बिल्टी एवं चालान आदि कोई दस्तावेज नहीं हैं, जिससे राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 76 (2) का उल्लंघन मानकर प्रत्यर्थी व्यवहारी को नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि ने मैसर्स आसाम एडबिल आयल लिमिटेड, निवाई के नाम जारी बिल संख्या 009 दिनांक 14.02.2008 बोरी सरसों 150 कीमत रु. 3,16,837.50 वैट रु. 12,673/- कुल रु. 3,29,511/- का प्रस्तुत किया। कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त बिल को अस्वीकार करते हुए कर चोरी की नियत से माल का परिवहन करना मानते हुए अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति रु. 95,052/- आरोपित की। उक्त शास्ति को अपीलीय अधिकारी के समक्ष विवादित करने पर, उन्होंने आरोपित शास्ति अपास्त करते हुए अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.03.2008 पारित किया।

कर निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि वक्त चेकिंग परिवहनित माल के दस्तावेज नहीं होने से अधिनियम की धारा 76 (बी) के प्रावधानों का उल्लंघन होने से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विधिक रूप से शास्ति आरोपित की गई थी, जिसके विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा अविधिक रूप

2

से अपास्त किया गया है। उनका कथन है कि बिना दस्तावेजों के माल का परिहवन करना यह सिद्ध करता है कि माल का परिवहन करापवंचन की नियत से किया जा रहा है, जो इस प्रकरण में स्पष्ट रूप से प्रमाणित है। उनका कथन है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा डी पी मेटल्स (124 एस टी सी) के प्रकरण में यह मत प्रतिपादित किया है कि वक्त चेकिंग माल से सम्बन्धित दस्तावेज अस्तित्व में है तो सदभाविक भूल मानकर उन्हें स्वीकार किया जाना चाहिए, परन्तु हस्तगत प्रकरण में वक्त चेकिंग कोई दस्तावेज अस्तित्व में नहीं थे, बल्कि नोटिस की पालना दस्तावेज तैयार किये जाकर प्रस्तुत किये गये हैं, जिससे डी पी मेटल्स (124 एस टी सी) के प्रकरण में प्रतिपादित सिद्धान्त लागू नहीं होता है बल्कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम राजस्थान राज्य (9 पी एस टी) में प्रतिपादित सिद्धान्त लागू होता है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों एवं उपरोक्त उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो अपास्त योग्य है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया।


प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी एक पंजीकृत व्यवसायी है और उसने निवाई के पंजीकृत व्यापारी को 150 बोरी का विक्रय बिल संख्या 9 दिनांक 14.02.2008 के द्वारा रु. 3,29,511/-में किया था तथा उसका जमा खर्च माल रवाना होने से पूर्व अपनी नियमित लेखा पुस्तकों में किया है। उनका कथन है कि वाहन चालक को उक्त बिल माल रवाना करते समय दिया गया था किन्तु वाहन चालक भूलवश उक्त बिल प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल पर भूल गया, जिसके सम्बन्ध में नोटिस प्राप्त होने पर प्रत्युत्तर के साथ कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था, जिसमें उसकी कोई करापवंचन की मंशा व दोषी मनोभाव नहीं था। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी को लेखा पुस्तकों का अवलोकन कराया गया था किन्तु उन्होंने इसे बाद जांच तैयार करना मानते हुए शास्ति आरोपित की है, जो न्यायोचित नहीं है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स डी.पी.मेटल्स के प्रकरण में पारित निर्णय को उद्धृत कर अपीलाधीन आदेश को उचित बताते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। रिकार्ड के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वक्त चेकिंग परिवहनित माल के साथ कोई दस्तावेज नहीं होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसकी पालना में उसके द्वारा प्रत्युत्तर के साथ बिल बिल संख्या 9 दिनांक 14.02.2008 के द्वारा रु. 3,29,511/-प्रस्तुत किया गया है, जिसको बाद जांच तैयार करना मानते हुए उसे अस्वीकार शास्ति कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित किया गया है।

बहस के दौरान प्रत्यर्थी व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कथन किया है कि “उसने निवाई के पंजीकृत व्यापारी को 150 बोरी का विक्रय बिल संख्या 9 दिनांक 14.02.2008 के द्वारा रु. 3,29,511/-में किया था तथा उसका जमा खर्च माल रवाना होने से पूर्व अपनी नियमित लेखा पुस्तकों में किया है। उनका कथन है कि वाहन चालक को उक्त बिल माल रवाना करते समय दिया गया था किन्तु वाहन चालक भूलवश उक्त बिल प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल पर भूल गया, जिसके सम्बन्ध में नोटिस प्राप्त होने पर प्रत्युत्तर के साथ कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था, जिसमें उसकी कोई करापवंचन की मंशा व दोषी मनोभाव नहीं था।”

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त कथन के खण्डन में ऐसा ऐसी कोई जांच कर दस्तावेजीय साक्ष्य एकत्रित नहीं किया गया है। दूसरी ओर विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया है, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। फलस्वरूप अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.03.2008 को यथावत रखते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(सुनील शर्मा)
सदस्य